Order Sheet [Contd] Case No 300/17 बी.ए एवं 303/2017 बी.ए

| D-4 C | Case 140 300/ 17 41.5 54 300 | |
|-----------------------------------|--|--|
| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| | 700 °C | |
| 29-08-2017 | आवेदक / अभियुक्त भूरे सिंह व मानसिंह की ओर से श्री के.पी.राठौर | |
| | अधिवक्ता। | |
| | राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। | |
| | पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड से अप०क० 127/17 धारा 341, 294, | |
| | 327, 427, 147, 148, 149 भा.द.वि. की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। | |
| / | अविदक / अभियुक्त भूरेसिंह की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 | |
| A | जा०फौ० एवं आवेदक मानसिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा | |
| A c | 438 जा०फौ० के पृथक पृथक आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गए है जो कि आवेदक | |
| A. S. | भूरेसिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र 303/2017 बी.ए. है एवं आवेदक प्रस्तुत | |
| ~ | आवेदनपत्र 300 / 17 बी.ए. पर दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त दोनों ही आवेदनपत्र | |
| (2) | थाना मालनपुर के एक ही अपराध से संबंधित होने से उनका निराकरण एक ही | |
| | आदेश द्वारा किया जा रहा है। मूल आदेश प्र0क0 303/2017 बी.ए में किया जा | |
| | रहा है जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र०क० 300/17 बी.ए. में संलग्न की जा रही है। | |
| | प्रवक् 303/2017 बी.ए. में आवेदक/अभियुक्त भूरे सिंह की ओर से श्री | |
| | के.पी.राठौर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन | |
| | किया कि आवेदक ग्राम इकहारा थाना मालनपुर का स्थाई निवासी है, उसके विरुद्ध | |
| | पुलिस द्वारा फरियादी से मिलकर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक | 3 |
| | अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके वृद्ध माता पिता के समक्ष भरणपोषण की | |
| | समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने तो | |
| | तैयार है। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। | |
| | इसी प्रकार प्र०क० ३००/१७ बी.ए. में आवेदक/अभियुक्त मानसिंह उर्फ | |
| | पप्पू की ओर से श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र | |
| | प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा | |
| | फरियादी पक्ष से मिलकर झूटा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें कि पुलिस उसे | |
| | गिरफ्तार करना चाहती है और यदि उसे गिरफ्तार किया गया उसकी राजनैतिक | |
| | छवि धूमिल हो जावेगी। आवेदक वार्ड कमांक 9 मालनपुर का स्थाई निवासी है। वह | |
| | अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः अग्रिम जमानत | |
| | पर छोडे जाने का निवेदन किया गया है। | |
| | राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने उक्त दोनों ही जमानत | |
| | आवेदनपत्रों का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। | |
| | उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया | |
| | गया। | |
| | उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया | |
| | गया। | |
| | | |

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण घटना में शामिल नहीं थे और उन्हें संदेह के आधार पर नामजद आरोपी बनाया गया है।

अभियोजन कथानक अनुसार फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जब वह खाना खाकर लौंट रहा था तो हनुमान चौराहा पर पहुँचा तो वहाँ संजू जाटव, भारत, रामप्रकाश, महेश व भूरसिंह जाटव व तीन अज्ञात व्यक्ति डंडों से लेश होकर खड़े मिले और उससे शराब पीने के लिए दो हजार रूपए की मांग के साथ मारपीट की ओर मोबाइल तोड दिया।

आरोपीगण ने अपराध किया अथवा नहीं, यह गुणदोष का विषय है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आवेदक अभियुक्त भूरेसिंह दिनांक 19.08.17 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक भूरसिंह की और से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि आवेदक / अभियुक्त की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30,000/- (तीस हजार रूपए) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोडा जावे।

शर्ते–

- आवेदक / अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
- जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

जहाँ तक आवेदक / अभियुक्त मानसिंह उर्फ पप्पू का संबंध है। आवेदक / अभियुक्त पर सहआरोपीगण के साथ लाठी डंडो से लेश होकर शराब पीने के लिए रूपए की मांग कर मारपीट करने का आरोप है और इस प्रकृति के अपराध में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम प्रतिभृति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः आवेदक / अभियुक्त मानसिंह उर्फ पप्पू की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति संबंधित जे०एम०एफ०सी० न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेत् भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे। ्रम् . नुलेखागार प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड में जमा किया जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए.एस.जे. गोहद